शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ अनुबंध पर ईधन तथा वाहन चालक रहित स्थिति में 02 वाहन

(01 M.U.V कार White XL-6 (BS-6) एवं 01 S.U.V वाहन Bolero-Neo White, BS-6 माडल अथवा समकक्ष)

लिए जाने हेतु जारी निविदा हेतु नियम एवं शर्तें।

1- आपूर्ति किया जाने वाला वाहन BS-6 माडल होना आवश्यक है। अंकित वाहन का मेक माडल मार्च, 2023 के बाद का होना आवश्यक होगा। नवीन वाहन को उच्च्य प्राथमिकता प्रदान की जाएगी अर्थात समान दरें होने पर नवीन वाहन ही लिया जाएगा तथा यदि नवीन वाहन का मूल्य न्यूनतम दरदाता के मूल्य से अधिक होगा तो प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम दरदाता के मूल्य पर उससे नेगोशियेशन किया जाएगा।

2- निविदा प्रपत्रों में वाहन का **मासिक किराया बिना ईधन तथा बिना वाहन चालक की स्थिति** में उपलब्ध कराया जाएगा, ईधन की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी।

3- आपूर्ति किया जाने वाला वाहन माडल उत्तम गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक है तथा वाहन की आन्तरिक साज-सज्जा यथा-सीट कवर; तौलिया, प्रकाश की उचित व्यवस्था, फुटमैट, बैक कैमरा, साईड फुट स्टेप; रोलर कर्टन इत्यादि उत्तम कोटि का होगा। आपूर्ति के उपरान्त विभाग द्वारा यदि वाहन में अन्य कोई ऐसेसिरीज या उपकरण लगाए जाते हैं तो मात्र प्रथम अवसर पर ही फर्म द्वारा बीजक प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।

4- वाहन के टायर; बैटरी; हैडलाइट, बैक लाईट; इन्डीकेटर; फ्रन्ट; समस्त ग्लास, दरवाजे तथा वाहन संबंधी अन्य समस्त उपकरण उचित तथा उत्कृष्ट गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक है तथा वाहन में अग्नि सुरक्षा उपकरण मानकों के अनुसार होना आवश्यक है।

5- आपूर्तित वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा अनुबंध की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र अर्थात वाहन पंजीयन; व्यावसासिक परमिट शुल्क; वाहन फिटनैस; बीमा आदि वैध होना आवश्यक है। (**संबंधित साक्ष्य की प्रति संलग्न करें।**)

6- आपूर्तित वाहन, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत आल इण्डिया परमिट से आच्छादित होना आवश्यक है, किसी भी प्रकार के **निजी वाहन** की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

7- यात्रा के दौरान वाहन में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि आपूर्तिकर्ता फर्म वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है, उस स्थिति में विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

8- वाहन का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप राज्य में अथवा राज्य के बाहर कहीं भी किया जाएगा।

9- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आवंटित कार्य को पुनः किसी अन्य फर्म को हस्तगत नहीं किया जाएगा।

10- ईधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (परिस्थिति के अनुरूप) लागबुक के आधार पर विभाग द्वारा होगी।

11- आपूर्तित वाहन की नियमानुसार समय-समय पर सर्विसिंग आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा स्वयं कराई जाएगी।

12- सेवा प्रदान करने में विलम्ब होने पर दर अनुबंध का निरस्तीकरण निम्नांकित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति धनराशि को जब्त करते हुए दर पंजीयन को समाप्त कर दिया जायेगा :-

क-यदि आपूर्तिकर्ता फर्म समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

ख-यदि आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषप्रद न हों।

श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड

13- **कर एवं अन्य देयकों का भुगतान :-**

क- सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर; पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

ख- अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति नियमानुसार लागू करों आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा किया जायेगा, जिसका साक्ष्य/बीजक प्रस्तुत करने पर संबंधित धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा बाद में फर्म को किया जाएगा।

14- आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा-श्रम अधिनियम; न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम; पी०एफ०; ई०एस०आई०; मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा।

15- उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई बिन्दु जो वाहन किराए पर लिए जाने से सबंधित हो एवं जिसे उक्त इंगित शर्तों में सम्मिलित नहीं किया जा सका हो, तो संज्ञान होने पर संबंधित बिन्दु को पृथक से अवगत कराया जाएगा।

16- नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने अथवा निविदा को पूर्ण रूप से निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कार्यालयाध्यक्ष/ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी का होगा।

17- निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क की धनराशि रूपया **500/-** (रूपया पांच सौ मात्र) को कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी में नकद जमा कराते हुए संबंधित रसीद मूल में तथा धरोहर धनराशि रूपया **5,000/-** (रूपया पांच हजार मात्र) की F.D जो श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में निविदा प्रपत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

18- निविदादाता द्वारा फर्म का GST में पंजीयन तथा पैन एकाउण्ट संबंधी प्रपत्र लगाया जाना आवश्यक होगा।

19- निविदादाता फर्म द्वारा दोनों वाहनों अथवा एक वाहन हेतु भी निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दोनों वाहनों हेतु निविदा करने पर उक्त शर्तों के अनुसार दो पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

20- बीजकों का भुगतान नियमानुसार GST- TDS तथा Income Tax TDS काटते हुए किया जाएगा।

21- निविदा प्रपत्रों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अर्थात **निविदा को खोले जाने की तिथि में परिवर्तन तथा रद्द** किये जाने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना (संशोधन/शुद्धि पत्र) पृथक से समाचार-पत्रों में **प्रकाशित नहीं** करायी जाएगी। किसी भी प्रकार का **सशोधन एवं शुद्धि पत्र विभागीय वैब साईट** www.labour.uk.gov.in **में अपलोड** किया जाएगा।

क्रमांक	विवरण	धनराशि/दरें समस्त करों सहित	अभ्युक्ति
1	वाहन का विवरण (ईधन रहित तथा वाहन चालक रहित स्थिति में)		

श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी।

श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड